


चायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

उ नो 28/18

तारीखरजू:-11.06.2018

उनवान:- छोटेला ल बनाम रामखिलाडी वगै०

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम
6:2018	<p>प्रार्थी की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट एवं प्रार्थना पत्र वावत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा आर.टी.एक्ट 212 के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी, शपथ पत्र, का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में बहस की सुनी गई। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगणों के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगणों को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तिथि तक पाबन्द किया जाता है। कि दांतली में आराजी भूमि ख० न० 29/0.20, 30/0.75, 31/0.01, 32/0.48, 33/0.01, 34/0.48, 35/0.46, 36/14, 94/0.30, 98/0.05, 99/0.01, 106/0.06, 120/0.31, 138/0.06, 169/0.13, 178/0.19, 190/0.11, 202/0.14, 204/0.20, 221/0.22, 223/0.22, एवं हाल ख.न. 232/0.14 कुल कित्ता 22 रकवा 4.67 है० में सायल के हिस्सा 1/6 कब्जेकाश्त में किसी प्रकार का विध्न न करे। रिकार्ड एवं मौके की स्थिति आगामी तिथि तक यथावत बनाए रखे। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी कर तलब करे। पत्रावली दिनांक:- 25.07.2018 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)</p> <p><u>25.7.18</u> प्रार्थी वकील उप०। अप्रार्थी नं. 1, 5, 6, 7, 8 की ओर से श्री लखनलाल मीना Adv ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी नं. 2, 3, 4, 9 सबजूद सूचना उप० नहीं है। 10.08.18 को पत्र रिजल्ट की आदिना दि० 8.8.18 को पेश हो।</p> <p><u>8.8.18</u> वकूलाय उपस्थित/दिनांक <u>अधिपति कोली</u> पेशी है। अतः पत्रावली अतानुसार दिनांक <u>5-9-18</u> को पेश हो।</p>

2045-53
11/6/18

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडा

फर्द अहकाम

दिनांक	फर्द अहकाम
13.11.19	वकुलाय उप०) जबाब पेश केलें दि० 26.11.19 को पेश हो
26.11.19	पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपक्ष अर्ज गैर हामल न०) व 5 भा 8 द्वारा जबाब पार्श्व पत्र मय 10/02/20 के न पेश हो वकील साफव वकील के दिखवाई गई। गैर हामल न०) 2, 3, 4 जवान ह समय यावत अतः पत्रावली वपक्ष जवाब / वकील पार्श्व पत्र दिनांक 16.12.19 को पेश हो।
16.12.19	पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक...13.1.20... को पेश हो।
13.1.20	वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी-पत्रावली में पेश है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 10.2.20 को पेश हो।
10.2.20	वकील उमयपक्ष उपस्थित। वकील उमयपक्ष उपस्थित। वकील उमयपक्ष ने कथन पत्रों उमयपक्ष को को रिकार्ड एवं प्रोका की प्रचालित बनाये रखने तथा किसी भी प्रकार का निगमन नहीं करने के लिए दावा के निस्तारण तक पाबन्द कर दिया जो उमयपक्ष कारन को अलग दावा के निस्तारण होने तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम दांतली की श्रमिक नं० 29/0.20, 30/0.25, 31/0.01, 32/0.48, 33/0.01, 34/0.48, 35/0.46, 36/0.14, 37/0.30, 38/0.05, 39/0.01, 106/0.06, 120/0.31, 168/0.06, 169/0.13, 178/0.19, 190/0.11, 202/0.14, 204/0.20, 221/0.22, 223/0.22, 232/0.14 कुल मिला 22 कुल रकम 4.67 हे० पर रिकार्ड एवं प्रोका की प्रचालित बनाये रखें एवं किसी भी प्रकार का निगमन कार्य नहीं करे। पत्रावली केसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ सौलज्ज रहे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

